प्राक्कथन

भारत में 12 मुख्य पत्तन हैं जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95 प्रतिशत से अधिक का करोबार करते हैं। इन पत्तनों का आधुनिकीकरण करने की अति आवश्यकता है। भारत सरकार ने पत्तनों की अवसंरचना के संवर्धन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी सरल बनाने के लिये 2010-20 के दौरान नेशनल मेरीटाइम डिवलपमेंट प्रोग्राम (2006) और मेरीटाइम एजेंडा (2011) तैयार किया। 91 पीपीपी परियोजनाएं, जो 751.71 एमएमटीपीए तक क्षमता बढ़ा सकती थीं को मार्च 2014 तक संस्वीकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पीपीपी परियोजनाओं के चयन और निष्पादन के आकलन के लिये मुख्य पत्तनों में भारत सरकार द्वारा मार्च 2014 तक मंजूरी दी गयी, पीपीपी परियोजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा की।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे जाने के उद्देश्य से संविधान के अनुछेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर पत्तन प्रबंधन और पोत परिवहन मंत्रालय से प्राप्त सहायता के लिये आभार व्यक्त करती है।